

बिहार सरकार,
शिक्षा विभाग।

प्रेषक,

विनोद कुमार सिंह,
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (योजना एवं लेखा)
संलग्न विवरणी अनुसार।

पटना, दिनांक/

विषय :-

वित्तीय वर्ष 2017-18 में माध्यमिक शिक्षा अन्तर्गत मुख्यमंत्री बालिका साईकिल योजना के तहत नवीं कक्षा में अध्ययनरत् अनुसूचित जाति/जनजाति की बालिकाओं के लिए कुल रूपये 34,32,00,000/- (चौतीस करोड़ बत्तीस लाख रूपये) मात्र राशि का आवंटन।

महोदय,

मांग संख्या-21, मुख्य शीर्ष-2202-सामान्य शिक्षा, उप मुख्य शीर्ष-02-माध्यमिक शिक्षा, लघु शीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, उप शीर्ष-0102-मुख्यमंत्री बालिका साईकिल योजना, विषय शीर्ष-0102.34.01-छात्रवृत्ति/वजीफा, विपत्र कोड संख्या-21-2202027890102 के अन्तर्गत मुख्यमंत्री बालिका साईकिल योजना के तहत नवीं कक्षा में अध्ययनरत् अनुसूचित जाति/जनजाति की बालिकाओं के लिए साईकिल क्रय हेतु वित्तीय वर्ष 2017-18 में कुल राशि रू 34,32,00,000/- (चौतीस करोड़ बत्तीस लाख रूपये) मात्र आपको संलग्न विवरणी आवंटन आवंटित की जाती है।

- 2 यह राशि वित्त विभाग के परिपत्र संख्या-2561 (वि0-2), दिनांक-17.04.1998 300(वि), दिनांक-08.05.2009, 428 दिनांक-31.03.2017 एवं 3002 दिनांक-26.04.2017 में उल्लिखित प्रावधानों के अन्तर्गत आवंटित है।
- 3 उपर्युक्त आवंटन स्वीकृत्यादेश संख्या-62 दिनांक-05.12.2017 के आलोक में आवंटित है।
- 4 इस राशि की निकासी एवं व्यय स्वीकृत्यादेश संख्या-62 दिनांक-05.12.2017 में अंकित प्रावधानों के अनुसार की जाय।
- 5 आवंटित राशि का भुगतान पूरी छान-बीन एवं जाँच पड़ताल के बाद नियम के आलोक में ही किया जाए। आवंटित राशि के विरुद्ध किसी भी प्रकार की छद्मपूर्ण या अनियमित निकासी एवं व्ययन तथा वित्तीय अनुशासनहीनता की पूरी जिम्मेवारी संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

6. इस आवंटन को व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाय। सक्षम पदाधिकारी से स्वीकृति प्राप्त कर नियम के आलोक में ही व्यय किया जाय, ताकि कोई व्यय अथवा राशि की निकासी अनियमित नहीं हों।
7. वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में निहित प्रावधानों तथा समय-समय पर निर्गत आदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाय, ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सकें।
8. बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम 2006 के आलोक में प्रत्येक तिमाही की व्यय की सूचना वित्त विभाग को यथा समय उपलब्ध कराने हेतु विहित प्रपत्र में वांछित सूचनाएँ प्रत्येक तिमाही के अंत में निश्चित रूप से विशेष दूत से उपलब्ध करा दिया जाय।
9. कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों पर मुख्य शीर्ष/लघु शीर्ष/उप शीर्ष आदि का स्पष्ट मुहर इकाईयों का कोड, विपत्र कोड एवं मांग संख्या अनिवार्य रूप से अंकित की जाए, ताकि महालेखाकार कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से हो सके।
10. मासिक व्यय विवरणी अगले माह की 10वीं तारीख तक टी0भी0नं0 एवं तिथि के साथ अनिवार्य रूप से अधोहस्ताक्षरी को भेजी जाय।
11. मितव्ययिता अवश्य बरतें।
12. इस विपत्र कोड के विषय शीर्ष-0102.34.01-छात्रवृत्ति/वजीफा में प्रथम अनुपूरक आगणन द्वारा 40.67 करोड़ रुपये मात्र का अतिरिक्त बजटीय उपबंध कराया गया है।

विश्वासभाजन,

ह0/-


(विनोद कुमार सिंह),

सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक:- 184

पटना, दिनांक:- 09/12/2017

प्रतिलिपि:-संबंधित कोषागार पदाधिकारी/जिला पदाधिकारी/जिला शिक्षा पदाधिकारी/निदेशक (माध्यमिक शिक्षा)/सहायक निदेशक (योजना)/उप सचिव/अवर सचिव-सह-बजट पदाधिकारी/प्रशाखा-05 एवं 11/आई0 टी0 मैनेजर, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


(विनोद कुमार सिंह),
सरकार के विशेष सचिव
सं.प्र.१

मांग संख्या-21, मुख्य शीर्ष-2202-सामान्य शिक्षा, उप मुख्य शीर्ष-02-माध्यमिक शिक्षा, लघु शीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के विशेष घटक योजना, उप शीर्ष-0102-मुख्यमंत्री बालिका साईकिल योजना, विषय शीर्ष-0102.34.01-छात्रवृत्ति/वजीफा, विपत्र कोड संख्या-21-2202027890102 में नवी कक्षा में अध्ययनरत अनुसूचित जाति/जनजाति की बालिकाओं को साईकिल क्रय हेतु वित्तीय वर्ष 2017-18 में जिलावार आवंटित राशि की विवरणी।

क्र० सं०	जिला का नाम	अनुसूचित जाति एवं जनजाति की बालिकाओं की संख्या	पूर्व में आवंटित राशि	तत्काल आवंटित राशि	कुल आवंटित राशि
1	पटना	3995	0	9987500	9987500
2	नालन्दा	4973	0	12432500	12432500
3	भोजपुर	4085	0	10212500	10212500
4	बक्सर	2963	0	7407500	7407500
5	रोहतास	7721	0	19302500	19302500
6	कैमूर (भभूआ)	2143	0	5357500	5357500
7	गया	5408	0	13520000	13520000
8	जहानाबाद	956	0	2390000	2390000
9	अरवल	1245	0	3112500	3112500
10	नवादा	5848	0	14620000	14620000
11	औरंगाबाद	5109	0	12772500	12772500
12	मुजफ्फरपुर	6073	0	15182500	15182500
13	सीतामढ़ी	3010	0	7525000	7525000
14	शिवहर	644	0	1610000	1610000
15	वैशाली	6847	0	17117500	17117500
16	पूर्वी चम्पारण (मोतिहारी)	4852	0	12130000	12130000
17	प० चम्पारण (बेतिया)	6923	0	17307500	17307500
18	सारण	6423	0	16057500	16057500
19	सीवान	5783	0	14457500	14457500
20	गोपालगंज	3749	0	9372500	9372500
21	दरभंगा	5996	0	14990000	14990000
22	मधुबनी	8339	0	20847500	20847500
23	समस्तीपुर	5679	0	14197500	14197500
24	सहरसा	1825	0	4562500	4562500
25	सुपौल	2161	0	5402500	5402500
26	मधेपुरा	1885	0	4712500	4712500
27	पुर्णिया	2271	0	5677500	5677500
28	अररिया	1094	0	2735000	2735000
29	किशनगंज	741	0	1852500	1852500
30	कटिहार	1521	0	3802500	3802500
31	भागलपुर	4011	0	10027500	10027500
32	बांका	1753	0	4382500	4382500
33	मुंगेर	1581	0	3952500	3952500
34	शेखपुरा	598	0	1495000	1495000
35	लखीसराय	747	0	1867500	1867500
36	जमुई	1842	0	4605000	4605000
37	खगड़िया	1648	0	4120000	4120000
38	बेगुसराय	4838	0	12095000	12095000
कुल योग :-		137280	0	343200000	343200000

कुल (चौतीस करोड़ बत्तीस लाख) रुपये मात्र।

(विनोद कुमार सिंह),
सरकार के विशेष सचिव

संज्ञा